

कार्यकारी सारांश

रिपोर्ट के बारे में

भारत के सीएजी की यह रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजट प्रयोजन के विरुद्ध प्रदर्शन, राजस्व और व्यय प्रक्षेपण, विविधताओं के कारण और उसका प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 10.28 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2018-19 में ₹3,27,107 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹4,57,608 करोड़ हो गया।

वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी में 12.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियाँ 17.86 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और जीएसडीपी पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2021-22 में 19.60 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 20.51 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 17.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 22.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) 2021-22 में ₹85,838.04 करोड़ से 14.97 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹98,691.19 हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 से 13.70 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व आधिक्य ₹4,642.02 करोड़ से बढ़कर ₹8,592.11 करोड़ हो गया, जो 2021-22 की तुलना में 85.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है, जबकि राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹6,093.10 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹4,691.21 करोड़ हो गया, जो 23.01 प्रतिशत कम हो गया।

प्राप्ति-व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का अपना कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता और हस्तांतरण में अनुदान और गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियाँ। राज्य शासन के व्यय में राजस्व खाते के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) पर व्यय शामिल है।

2018-19 से 2022-23 तक, राजस्व प्राप्तियाँ ₹65,094.93 करोड़ से 10.02 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर ₹93,877.14 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹14,538.24 करोड़ से घटकर ₹10,761.58 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की हिस्सेदारी 2018-19 में 19.21 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 14.01 प्रतिशत हो गई, जो भारत सरकार के समर्थन पर कम निर्भरता का संकेत है। राज्य शासन को वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹8,712.52 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। 2018-19 और 2022-23 के बीच, राजस्व व्यय ₹64,411.17 करोड़ (जीएसडीपी का 19.69 प्रतिशत) से बढ़कर ₹85,285.03 करोड़ (जीएसडीपी का 18.64 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान इसने लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (86.41 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत) बनाया, जो 8.95 प्रतिशत की औसत

वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2018-19 में ₹683.76 करोड़ (जीएसडीपी का 0.21 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹8,592.11 (जीएसडीपी का 1.88 प्रतिशत) हो गया।

राज्य शासन ने पूँजीगत खाते पर ₹13,320.30 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का 13.50 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान, उधार ली गई धनराशि का 89 प्रतिशत (₹21,972.42 करोड़) का उपयोग पहले के उधार (₹19,448.88 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई धनराशि का केवल 11 प्रतिशत बचा था। वर्ष 2022-23 के दौरान, यदि उधार के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष राशि (₹2,523.54 करोड़) का उपयोग ₹6,382.08 करोड़ के ब्याज भुगतान करने के लिए किया जा रहा है, तो पूँजीगत व्यय के लिए कोई उधार ली गई निधि उपलब्ध नहीं होगी।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 में ₹8,292.23 करोड़ (जीएसडीपी का 2.54 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹4,691.21 करोड़ (जीएसडीपी का 1.03 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। वर्ष 2018-19 (42 प्रतिशत) और 2022-23 (47 प्रतिशत) के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 42-50 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय औसतन 15.35 प्रतिशत की दर से बढ़ा यानी वर्ष 2018-19 में ₹26,888.65 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹40,314.09 करोड़ हो गया {2021-22 (₹37,634.24 करोड़) की तुलना में 7.12 प्रतिशत की वृद्धि}।

प्रतिबद्ध व्यय के अलावा, अनम्य व्यय वर्ष 2021-22 में ₹5,381.19 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹7,096.68 करोड़ हो गया, जो 31.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

कुल मिलाकर, वर्ष 2022-23 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹47,410.77 करोड़ था; जो राजस्व व्यय का 56 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूँजी निर्माण के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2021-22 में ₹6,565.30 करोड़ (राजस्व व्यय का 8.75 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹8,306.28 करोड़ (राजस्व व्यय का 9.74 प्रतिशत) हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, ऊर्जा (39.44 प्रतिशत) और खाद्य और नागरिक आपूर्ति (52.64 प्रतिशत) ने कुल सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा बनाया।

ऑफ-बजट उधार

राज्य शासन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पैरास्टैटल्स के माध्यम से, ऑफ-बजट उधार के रूप में ₹7,161.32 करोड़ (कुल बजट देनदारियों का 7.04 प्रतिशत) जुटाए; जो राज्य की समेकित निधि में प्रवाहित नहीं हुए, लेकिन बजट के माध्यम से चुकाए जाने और सेवा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वर्ष 2022-23 के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि ₹30,022.50 करोड़ थी। जिसमें से 31 मार्च 2023 तक

₹20,957.51 करोड़ बकाया था।

राज्य शासन ने 11 मई 2022 की अधिसूचना के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लेने की भी अधिसूचना जारी की थी। ओपीएस के कार्यान्वयन के कारण आसन्न वित्तीय बोज़ पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, ऑफ-बजट उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी इत्यादि जैसे मैक्रो-राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय विसंगति का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय भी शामिल हैं जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं, आरक्षित निधि में स्थानांतरण, स्थानीय निकायों को स्थानांतरण आदि के लिए प्रतिबद्धता से उत्पन्न होते हैं।

एफआरबीएम आवश्यकताएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम/एमटीएफपीएस कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जिसके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए, और इसी तरह पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गारंटी के लिए भी सीमाएं निर्धारित करता है। वर्ष 2022-23 में राजस्व आधिक्य 1.88 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 3.33 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 1.03 प्रतिशत था; कुल देनदारी 26.41 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 20.46 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, यदि ऑफ-बजट उधार की मात्रा को ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देनदारी (लोक ऋण और लोक लेखा देनदारियां शामिल) जीएसडीपी का 22.02 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन का लोक ऋण 2018-19 से 2022-23 के दौरान बकाया लोक ऋण का औसतन 17.11 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ का लोक ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 15.97 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 21.15 प्रतिशत हो गया और फिर 2022-23 में घटकर 16.58 प्रतिशत हो गया। महामारी के बाद लोक ऋण-जीएसडीपी अनुपात में सुधार से पता चलता है कि ऋण की स्थिति खराब नहीं हो रही है, लेकिन यह अभी भी एक सीमा तक नहीं पहुंची है।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान ऋण स्थिरता (जी-आर > 0) की स्थिति को संतुष्ट करते हुए प्राथमिक अधिशेष में वृद्धि के साथ डोमर गैप सकारात्मक हो गया। कोविड वर्षों (2019-20 और 2020-21) के दौरान डोमर गैप (जी-आर) नकारात्मक था। हालांकि, कोविड के बाद के वर्षों में, जीएसडीपी में उच्च वृद्धि के कारण डोमर गैप सकारात्मक हो गया। कोविड के बाद के वर्षों में उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक डोमर गैप को पिछले वर्ष में तुलना के लिए कम आधार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। राज्य की ऋण स्थिरता/स्थायित्व का आकलन करने में डोमर गैप को लोक लेखे की देनदारियों (₹17,745.64 करोड़), ऑफ-बजट उधार (₹7,161.32 करोड़) जैसे अन्य कारकों के साथ भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण प्राप्ति अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है, जो बताता है कि आर्थिक विकास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है।

जैसा कि ऊपर की गई विश्लेषण और परिणामों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य की वित्तीय स्थिति देनदारियों (ऋण, गारंटी, ऑफ-बजट उधार इत्यादि) की बढ़ती प्रवृत्ति से चिह्नित है, हालांकि, राजकोषीय घाटा, ऋण-जीएसडीपी अनुपात और गारंटी जैसे राजकोषीय पैरामीटर निर्धारित लक्ष्य के भीतर हैं।

बजट प्रदर्शन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय मंशा और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान (बीई) की तुलना में परिणाम में विचलन (-)3.67 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, छह अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 5.00 प्रतिशत था। यह 21 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 18 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 23 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजीगत अनुभाग के एक अनुदान के संबंध में कोई मूल बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट निष्पादन इस बात को भी देखता है कि किस हद तक निष्पादन के दौरान पुनः आवंटन मुख्य बजट श्रेणियों कि व्यय संरचना के विचरण में योगदान दिया है। यह माप अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। राजस्व व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में विचलन (-)8.79 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 12 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। राजस्व अनुभाग के छह अनुदानों (अनुदान संख्या 42, 57, 68, 75, 76 और एक विनियोग-लोक ऋण) में कोई राजस्व प्रावधान नहीं किया गया था। पूँजीगत व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)11.50 प्रतिशत था। यह 23 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 32 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजीगत अनुभाग के पांच अनुदानों (अनुदान संख्या 22, 35, 49, 50 और एक विनियोग-ब्याज भुगतान) के संबंध में कोई पूँजी प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹11,445.78 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि हालांकि विचलन वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच दो प्रतिशत से भी कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और अधिक विचलन था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि ऐसे अनुपूरक प्रावधान भी थे जहां व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया। एक विश्वसनीय बजट प्राणाली को इस तरह के विचलन से निपटने की आवश्यकता होनी चाहिए।

अनुदानों/विनियोगों से अधिकता का नियमितीकरण

राज्य सरकार के लिए संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1)(ख) के अनुसार यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित करवाए। यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 में एक अनुदान और दो विनियोगों के तहत ₹3,630.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे

नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, वर्ष 2000-01 से 2021-22 के प्रावधान से ₹17,436.39 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली में वित्तीय लेखों, लेन-देन और उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जो अनुपालन में कमी, कमजोर विनियमन और वास्तविक व्यय को साबित करने वाले लेखांकन विवरण या समायोजन विवरण के विलम्ब से मिलने से संबंधित समस्याओं को कवर करता है। यह लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित समस्याओं जैसे देयताओं का कम या अधिक भुगतान, लेन-देन का गलत वर्गीकरण एवं सूचनाओं की कमी को भी उजागर करता है।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति

मौजूदा प्रावधान के अनुसार सभी बकाया यूसी, मार्च 2023 तक जमा कर दिए गए थे। इसलिए, 31 मार्च 2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति शून्य है।

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि ऊर्जा विभाग ने 2021-22 में छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण (क्रेडा) को ₹496.73 करोड़ जारी किए तथा ऊर्जा विभाग द्वारा ₹496.73 करोड़ के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र अगस्त 2022 में प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किए गए। हालांकि, यह पाया गया कि क्रेडा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के बाद के महीनों में (अक्टूबर 2022 तक) ₹24.37 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया।

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक

अग्रिम राशि निकासी के लिए उपयोग किये गए संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (एसी) के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक (डीसी) प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होने के बावजूद 31 मार्च 2023 को ₹306.67 करोड़ की राशि के 471 एसी देयक, डीसी देयक प्रस्तुति के लिए लंबित थे, जिसमें से ₹108.71 करोड़ के 202 एसी देयक 2021-22 से पूर्व की अवधि के थे।

मिलान

नियमानुसार, सभी विभागों को चाहिए की वो अपने व्यय और जमा का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखा में दर्ज किये गए व्यय से कर लें। राज्य शासन ने कुल व्यय का 13.30 फीसदी और जमा का 13.86 फीसदी का मिलान नहीं किया।

लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकरण

यह पाया गया कि ₹7,715.17 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्ति का 8.22 फीसदी) की प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 44 के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' में वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार, 2022-23 के दौरान ₹539.21 करोड़ (कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय के 0.55 फीसदी) के व्यय को मुख्य शीर्ष 26 के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' में वर्गीकृत किया गया।

भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) का अनुपालन

भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आईजीएएस-1: सरकार द्वारा दी गई गारंटी - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, आईजीएएस-2: अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण करना और आईजीएएस-3: सरकार द्वारा किए गए ऋण और अग्रिम, का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया।

व्यक्तिगत जमा खातों का परिचालन

छत्तीसगढ़ कोषालय सहिता के अनुसार, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्ष से असंचालित हैं, उन्हें व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए। अधिकृत अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी एक व्यक्तिगत जमा खाता बंद नहीं हुआ और ₹0.35 करोड़ की शेष राशि को संचित निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 को, 131 व्यक्तिगत जमा खाते मौजूद थे और इन खातों में शेष राशि ₹1,364.20 करोड़ थी।

एकल नोडल एजेंसी में राशि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। 31 मार्च 2023 तक, राज्य शासन ने ₹7,302.41 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹6,431.54 करोड़ का राज्य हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। वित्त खाते के अनुसार, वर्ष के दौरान राज्य शासन को केंद्रांश के रूप में ₹8,709.39 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने केंद्रीय हिस्सेदारी का ₹7,820.21 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹6,942.22 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹7,244.42 करोड़ रुपये बिना खर्च किए पड़े थे।

प्रचलित नियमों और सहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में जवाबदेही और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए होता है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करता है। संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न किया जाना; भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों का गैर-अनुपालन; एवं एकल नोडल खातों से व्यय की जानकारी की गैर-आपूर्ति से लेखाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 28 उपक्रम (पीएसयू) जिनमें एक सांविधिक निगम भी शामिल था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय विवरण जमा करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का, 25 पीएसयू जिनके 47 लेखें बकाया थे, द्वारा पालन नहीं किया गया। 10 कार्यरत एसपीएसयू द्वारा अर्जित ₹879.22 करोड़ के कुल लाभ में से 85.47 प्रतिशत का योगदान केवल तीन पीएसयू द्वारा किया गया था। सात कार्यरत एसपीएसयू द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹1,143.10 करोड़ में से, ₹1,132.72 करोड़ की हानि का वहन केवल एक पीएसयू सीएसपीडीसीएल द्वारा किया गया था। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान 21 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए, जिनमें से 14 की समीक्षा की गई और सभी 14 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ जारी की गईं।

राज्य शासन एसपीएसयू के प्रबंधन पर अपने वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल सकती है। अंतिम लेखों के अभाव में, ऐसे एसपीएसयू में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार हानि में चल रहे एसपीएसयू में, हानि के कारणों का भी विश्लेषण कर सकती है और उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।
